न्यायालय लेण्डरिकोर्ड एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या 11 / 2023
किस्म – प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक 02.01.2023
निर्णय दिनांक 19.03.2026

अनवान

1– शिवलाल पिता चम्पालाल जाति कुमावत निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थी

बनाम

1– शिवलाल पिता जेराम जाति कुमावत निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2– प्यारचंद पिता किशोर जी जाति कुमावत ,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
3– मोहनलाल पिता किशोर जाति कुमावत,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा फौत
4– शिवप्रसाद पिता नानालाल जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
5– ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
6– कमलेश पिता नानालाल जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
7– कैलाशचन्द्र पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
8– गोरधन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
9– जगदीश पुत्र बंशीलाल जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
10–नन्दु बाई पत्नि स्व0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
11–मोहनलाल पिता नानालाल जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
12–शम्भुलाल पिता बंशीलाल जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
13–सत्यनारायण पिता कन्यालाल जाति ब्राहम्ण,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
14–अणछी बाई पत्नि वेणीराम जाति गाडरी,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
15–अमरी बाई पत्नि वेणीराम जाति गाडरी,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
16–किशना पुत्र सोला जाति गाडरी,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा फौत
17–भैरूलाल पिता वेणीराम जाति गाडरी,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा
18–रतनलाल पुत्र नारायण जाति गाडरी,निवासी चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत्

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री रमेश अहिर
अधिवक्ता श्री राकेश सनाढ्य

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य की भूमि ग्राम चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा के आराजी नम्बर 461 / 199 भूमि है। प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। विपक्षीगण की आराजी संख्या 165, 197, 530 / 199, 134, 135, स्थित है। प्रार्थीगण के विपक्षीगण पडौसी है किन्तु आये दिन मौके पर सीमा नष्ट करते रहते है इसी वजह से मौके पर आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर झगडा फसाद होता रहता है, उक्त विवाद समाप्त कराये जाने हेतु मौके पर पत्थर गढ़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि विपक्षी एवं प्रार्थी के मध्य बाड को लेकर मौके पर कोई विवाद पैदा नही होवें। मौके पर आये दिन डिर्माकेशन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

को लेकर पक्षकोरो के मध्य विवाद होता रहता है विवाद को समाप्त करने के लिए यह यही न्यायोचित होगा कि मौके पर पक्षकारों के मध्य भूमि कि नपती करायी जावे एवं नपती करने के बाद मौके की स्थिति के अनुसार मीनार लगाई जावे ताकि प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य भविष्य मे इस प्रकार की विवाद उत्पन्न नही होवें।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 01 मे किया गया है, जिसके पडौस मे विपक्षीगण की भूमियो के मध्य स्थाई सीमांकन चिन्ह (पत्थरगढी) कराई जावे एवं मौके पर मीनारबन्दी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 12 के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके पर विवादित जमीन की पत्थरगढी करा सीमाचिन्ह अंकित किये जाते है तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है, प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रस्तुत जमाबन्दी से प्रार्थीगण खातेदार होना जाहिर हैं एवं विपक्षीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया हैं वैसे भी प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी करने पुर्ण अधिकार है जिसे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाने का योग्य पाती हुँ ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चाम्पाखेडी तहसील रेलमगरा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 461/199 भूमि में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाते है, आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें । वक्त पत्थरगढी प्रार्थी कमिश्नर शुल्क 1000/– रूपये नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। आदेश की प्रति तहसीलदार रेलमगरा को भेजी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक **19.03.2026** को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा